

महत्वपूर्ण

संख्या- 249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11**लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020**

विषय: कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।

2. कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है। कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

4. उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -533/पांच-1-2020-आर0(533)/2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स,

स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत हैं।

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-646/दस-5-2020... दिनांक 11 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-249(1)/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।